

राजस्थान का लक्ष्य वदियुत और ऊर्जा में आत्मनरिभरता प्राप्ति करना

चर्चा में क्यों?

राजस्थान सरकार ने [वदियुत और ऊर्जा क्षेत्र](#) में आत्मनरिभर बनने के लिये वित्त वर्ष 2025 के अंत तक 30 गीगावाट (Gw) [सौर ऊर्जा](#) का उत्पादन करने का लक्ष्य रखा है।

मुख्य बिंदु

- मार्च 2024 में राज्य सरकार और [नेवेली लिगिनाइड कॉरपोरेशन लिमिटेड \(NLC\)](#) इंडिया ने बीकानेर में 7,000 करोड़ रुपए से अधिक के निवेश के साथ **1,000 मेगावाट (Mw) सौर ऊर्जा संयंत्र** तथा **125 मेगावाट लिगिनाइड-आधारित वदियुत संयंत्र** स्थापित करने हेतु एक संयुक्त उद्यम बनाने के लिये एक समझौते पर हस्ताक्षर किये।
 - सरकार ने राज्य को ऊर्जा आत्मनरिभरता में अग्रणी बनाने हेतु चार प्रमुख सौर परियोजनाओं के लिये भूमिको भी स्वीकृति दी।
 - इन परियोजनाओं में **बीकानेर में 2,450 मेगावाट के तीन सौर पार्क** तथा फलोदी में 500 मेगावाट की एक परियोजना शामिल है।
- राज्य [PM कुसुम](#) सौर पंप संयंत्र को भी मजबूत कर रहा है, जिससे 50,000 से अधिक खेतों में सौर पंप स्थापित करने और 200 मेगावाट वदियुत उत्पादन में सहायता मिलेगी।
 - यह पहल [नवीकरणीय ऊर्जा](#) स्रोतों को अपनाने को भी प्रोत्साहित करती है और सौर ऊर्जा चालित पंपों के कार्यान्वयन के माध्यम द्वारा राज्य में [कृषि क्षेत्र](#) को पुनर्जीवित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है।

PM- कुसुम (प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्तम महाभियान)

- PM- कुसुम योजना को नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय (MNRE) द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में ऑफ-ग्रिड सौर पंपों की स्थापना तथा इन क्षेत्रों में ग्रिड पर निर्भरता कम करने के लिये शुरू किया गया था।
- [आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति \(CCEA\)](#) ने फरवरी 2019 में वित्तीय और जल सुरक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से इस योजना को शुरू करने को मंजूरी दी थी।
- सरकार के [2020-21 के बजट](#) में इस योजना का दायरा बढ़ा दिया गया है, जिसके तहत **20 लाख किसानों** को सौर पंप लगाने के लिये सहायता प्रदान की जाएगी; अन्य **15 लाख किसानों** को उनके **ग्रिड से जुड़े पंप सेटों** को सौर ऊर्जा से चलाने के लिये सहायता दी जाएगी।
 - इससे किसान अपनी बंजर भूमि पर सौर ऊर्जा उत्पादन क्षमता स्थापित कर सकेंगे और उसे ग्रिड को बेच सकेंगे।